## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 02.09.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा यातायात पुलिस को दी गई विशेष ब्रीफिंग। ब्रीफ करते हुए वीआईपी भ्रमण हेतु ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था सुनिश्चित करने, नियम उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करने और लोक अदालत में चालानों का निस्तारण कराने के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।**

**विवरण-** आज दिनांक 02.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज द्वारा पुलिस लाइन सभागार में यातायात पुलिस को दी गई विशेष ब्रीफिंग। ब्रीफिंग में निर्देशित किया गया कि आगामी वीआईपी भ्रमण के दृष्टिगत जनसामान्य को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संपूर्ण यातायात व्यवस्था को पूर्व नियोजित कर व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए। इसी क्रम में जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक जाने वाले मार्ग को रेलवे स्टेशन एवं बाबूलाल चौराहा होते हुए ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर संचालित किया जाए, जिससे आपातकालीन सेवाओं एवं आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो व यातायात निर्बाध एवं सुचारू रूप से संचालित हो सके। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों, तीन सवारी बैठाने वालों तथा नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने पर विशेष बल दिया गया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसे वाहन चालक जिनके विरुद्ध पाँच से अधिक चालान लंबित हैं और जो चालान की राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरूद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी साथ ही आगामी 13.09.2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक चालानों का निस्तारण कराने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल दंड से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा दायित्व है। उन्होंने आमजन से अपील की कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का नियमित प्रयोग करें तथा नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें, ताकि जनपद में सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।